DR. S. CHANDRASEKHAR : 21 for boys and 18 for girls.

SHRI A. SREEDHANRAN : I come from a State where the rate of fertility is very high. Fertility takes place not only when they are married young but also when they are married old. I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India will fix an upper age limit for marriage so that children are not produced in senility.

DR. S. CHANDRASEKHAR : There is no such contemplation.

SOME HON. MEMBERS : Why not ?

SHRI HEM BARUA : Possibly this legislation to raise the marriageable age is proposed in order to make the family planning programme more effective. In that connection may I know whether it is a fact that the hon. Minister said recently that the difficulties towards the implementation of the fam ly planning programme are triangular ? If so, what does he mean by the difficulties being triangular ?

DR. S. CHANDRASEKHAR : I do not know what the hon. Member is referring to by triangular difficulties.

SHRI HEM BARUA : It is reported recently in the papers that the hon. Minister said that the difficulties towards the family planning programme are triangular.

DR. S. CHANDRASEKHAR : I said in a speech at Chandigarh that we have three difficulties to implement family planning programme.

SHRI HEM BARUA : What are those difficulties ?

DR. S. CHANDRASEKHAR : First— we do not have an ideal contraceptive to suit our rural conditions. (2) Facilities of mass communication are not fully available to us. (3) The methods of motivation are also not with us.

Income-Tax Returns Not Filed by Ministers

+

*454 **SHRI YAJNA DATT SHARMA :**

SHRI HARDAYAL DEVGUN :

SHRI M. N. REDDY :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the names of the Ministers who have not filed their Income-tax returns for the past 3 years ;

(b) whether it is a fact that some Ministers have paid the arrears of taxes this year ;

(c) if so, the names of the Ministers, the taxes and the penalty paid by them ; and

(d) action taken against the Ministers who have not paid the taxes so far, the action the Ministry took and at what level, to realise the taxes from the defaulting Ministers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) ; (a) to (d) Information with regard to those Ministers who had notifiled their returns for any of the last three years 1966-67 to 1968-69, has been furnished on 16 5 69 in respect of Question No. 4065 dated 24 3 1969 Detailed information as regards the latest position is being collected

श्री यज्ञदत्त शर्मा : लोग माननीय वित्त मन्त्री महोदय से एक विशेष अपेक्षा रखते हैं । यह देश और यह सदन भी यह समझता है कि वह एक क्रान्तिकारी पग के साथ और लोगों के मनों में अनेक प्रकार की नई आशायें जगाने वाले नारों के साथ इस नए पद पर आई हैं । इनकम टैक्स विभाग के अन्दर अनेक प्रकार की धांधलियां है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । राजनीतिक जीवन के अन्दर शुचिता और प्रामाणिकता लाई जानी चाहिये ताकि आम जनता में भारत की राजनीतिक के प्रति आस्था जगे । आपके कार्यालय के अन्दर मन्त्रियों से सम्बन्धित प्रश्नों के ऊपर अनेक प्रकार के अड़ंगे लगाये जाते हैं और सदस्यों के प्रश्नों को रोका जाता है । इस सम्बन्ध में हमें संरक्षण मिलना चाहिये।

मेरे प्रश्न के क भाग में दस वर्ष तक की मन्त्रियों की आय के सम्बन्ध में जानकारी मांगी गई थी । लेकिन इसको तीन वर्ष कर दिया गया

ग्रौर तीन वर्ष की ही जानकारी दी गई है। इस प्रकार की अडंगेबाजी क्यों ? मन्त्रियों से सम्बन्धित यह प्रश्न है। दस वर्ष को काट कर तीन वर्षों की जानकारी ही यहां पर दी गई है। मैं समझता हूँ कि सामान्य व्यक्तियों की बात अलग है। मन्त्री महोदय ने दस वर्ष तक की जानकारी नहीं दी है तो क्यों नही दी है ? अगर विभाग की ओर से इस प्रकार का कोई कानून बनाया गया है या नियम बनाया गया है तो यह गलत है और हमें पूरी जानकारी मिलनी चाहिये।

मैं प्रश्न पूछता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिन मन्त्रियों के आपने नाम बताये हैं, उन पर कोई एरियर्ज भी बाकी हैं और अगर बाकी हैं तो कितने बाकी हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि उन मंत्रियों के नाम नहीं दिये गये हैं, जिन्होंने पिछले दस सालों से इनकम टैक्स के रिटर्न नहीं दिये हैं। एक प्रश्न के उत्तर में इस हाउस में, या दूसरे हाउस में—मुझे ठीक से याद नहीं है—ये नाम दे दिये गये हैं। अब माननीय सदस्य ने कहा है कि जिन मन्त्रियों पर तीन साल का बकाया है, उनके नाम दिये जायें। वे नाम भी सदन के सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, वह काफी व्यापक है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि जिन मन्त्रियों पर तीन साल के बकाया थे, उनमें से किन-किन का क्या हुआ, किस पर कितना बकाया है और जिन पर बकाया है, उनके खिलाफ मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ मिनिस्टर्ज का एसेसमेंट यहां होता है और कुछ का दूसरी कमिश्नरीज में होता है। यह सवाल 6-8-69 को हमारे पास आया था। सब कमिश्नरीज से यह सब जानकारी इकट्ठा करने में समय लगना स्वाभाविक है। इसीलिए प्रश्न के भाग (बी), (सी) और (डी) का यह उत्तर दिया गया है कि यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इकट्ठी करने के बाद वह सदन के सामने रख दी जायेगी।

मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं कि जिनकी आमदनी चार हजार रुपये से कम है, वे पार्लियामेंट के सदस्य हों, मिनिस्टर हों या कोई दूसरे व्यक्ति हों, सेक्शन 139 (1) के मुताबिक उन्हें सुओ मोटो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ऐसा न करने पर सेक्शन 139 (2) के मुताबिक उन्हें नोटिस दिया जाता है और इस बारे में डीफाल्ट करने पर पीनल इन्ट्रेस्ट की क्लाज के मुताबिक कार्यवाही की जाती है और इन मामलों में भी की जायेगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है।

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे पहले का प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, बल्कि मन्त्री महोदय ने केवल शब्दों की जादूगरी दिखाई है।

कानून की दृष्टि में छोटे और बड़े सब समान हैं। एक सामान्य नागरिक द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न न दाखिल किये जाने पर विभाग एक दम बिच्छू की तरह उसे काटने के लिए दोड़ता है। लेकिन जिन मन्त्रियों ने पिछले दस-दस सालों से अपने रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, उनके संबंध में विभाग के दिमाग पर और काम करने की उसकी शक्ति पर कौनसा पत्थर पड़ा हुआ है कि वह उनकी तरफ मुंह नहीं करता है ? क्या मंत्री महोदय कानून को इतना बल प्रदान करेंगे कि वह छोटे और बड़े सब के लिये सक्रिय हो सके ? प्रधान मन्त्री ने वित्त मन्त्रालय का भार सम्भाल लिया है और उन्होंने कई क्रान्तिकारी नारे देश के सामने रखे हैं, जिन पर बधाई देने के लिए प्राइमरी स्कूलों के बच्चे उनके निवास-स्थान की तरफ जा रहे हैं। मैं उनसे यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या वह एक्सीक्यूटिव के ढांचे में ऐसा परिवर्तन लायेंगी, जिससे कानून की दृष्टि में एक मन्त्री और एक सामान्य नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाये ?

SHRI P C SETHI: I would like to make this position very clear that as far as section 139 (1) is concerned, if the return is not filed but later on it is found that it was a taxable income, then an interest of 9 per

cent per annum is collected on the tax which has remained unpaid. With regard to the penalty, it could be imposed at 2 per cent p.m. subject to 50 per cent in aggregate.

Now, it is likely that under section 139(1) if one has not filed the return, because the taxable income, he thinks, is short of Rs. 4000 or if the tax is not deducted at the source, then the penalty is that on the tax which has remained uncollected, there will be 9 per cent interest Secondly, there would be a penalty of 2 per cent......

श्री यज्ञदत्त शर्मा : यह सब कथा तो कागजों में लिखी हुई है। मंत्री महोदय यह बतायें कि उन्होंने क्या ऐक्शन लिया है।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा है कि इस विषय में सब जानकारी इकट्ठी करने के बाद सदन के सामने रख दी जायेगी।

श्री हरदयाल देवगुण : अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। हम ने पूछा है कि उन मिनिस्टरों के नाम बताये जायें, जिन्होंने पिछले तीन सालों से इनकम टैक्स के रिटर्न नहीं दिये हैं, क्या कुछ मिनिस्टरों ने इस साल बकाया अदा किये हैं, उन मिनिस्टरों के नाम बताये जायें जिन पर पिनेल्टी लगाई गई है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आप के विभाग को जून के पहले सप्ताह में भेजा गया था। मन्त्री महोदय के पास भी वह उस समय पहुँच जाना चाहिए। इस स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर न दिये जाने का क्या कारण है ? यहां पर खुल्लम-खुल्ला इल्जाम लगाये गये और मिनिस्टरों के नाम लिये गये। यह कहा गया कि श्री जगजीवन राम ने दस साल का टैक्स नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी का नाम न लें।

श्री कंवरलाल गुप्त : इस में क्या हर्ज है। खुद गवर्नमेंट की तरफ से नाम बताये गये हैं।

श्री हरदयाल देवगुण : खुद सरकार ने नाम बताये हैं। सब मिनिस्टर यहां रहते हैं। उन के बारे में विभाग से सब जानकारी प्राप्त की जा सकती थी और स्वयं मिनिस्टरों से भी यह जानकारी ली जा सकती थी कि किन पर जुर्माना किया गया और किन्होंने रिटर्न नहीं दिये, आदि। प्रधान मन्त्री साहिबा आज स्वयं फिनांस मिनिस्टर हैं। वह अपने बारे में बता दें कि क्या उन्होंने वेल्थ टैक्स के बारे में रिटर्न दिये हैं, क्या वे रिटर्न रिजेक्ट हुए हैं और क्या उन्होंने दोबारा वैल्थ टैक्स के रिटर्न रिवाइज कर के दिये हैं ? क्या वह बतायेंगी कि उन के रिटर्न क्यों रिजेक्ट हुए ; अगर उन्होंने दोबारा दिये, तो क्यों दिये ; क्या उन पर कोई जुर्माना हुआ ; अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? जो जुलेरी ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का सवाल इनकम टैक्स के बारे में है। मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि वह इनफर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य जरा जोश से और आगे बढ़ गये हैं।

श्री हरदयाल देवगुण : प्रधान मन्त्री आज वित्त मंत्री भी हैं। वह दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं, लेकिन वह अपने बारे में जानकारी दे दें कि उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न कितने भरे हैं, उन में क्या गलती है, क्या मंजूर किया गया है और क्या नामंजूर किया गया है। क्या अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने जेवरात, अपनी प्रापर्टी, महरोली और देहरादून का आपने फार्म कहां से लिए ? वह अपने बारे में यह सब जानकारी दें।

MR. SPEAKER : Let him not make insinuations. This is very wrong.

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MININTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : On an earlier occassion, this question was asked and it was replied to in this House. I have no farm in Dehra Dun.

MR. SPEAKER : Next question...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : This is a very important question.

आप अन्य सदस्यों को भी सवाल पूछने का मौका दें।

SHRIMATI INDIRA GANDHI : The hon. Member should not make insintuations.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I am not making any insinuations.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : This question was replied to on a previous occasion.

SHRI SAMBASIVAM : How many Opposition leaders have not filed their returns ?

श्री मु० अ० खां : अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के साथ साथ इस सदन के मेम्बरों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे जनता के सामने सही मिसाल रखें। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्रियों के अलावा इस सदन के किन किन मेम्बरों ने पिछले दस सालों से इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल नहीं किया है और श्री कंवरलाल गुप्त ने कब से अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

MR. SPEAKER : The main question relates to Ministers only and not to Members

श्री मु० अ० खां : मंत्री भी इस सदन के मेम्बर हैं।

SHRI KANWAR LAL GUTPA : I want to ask a question. You had permitted an hon. Member opposi e......

MR. SPEAKER ; I have not allowed his question

श्री मु० अ० खां : मुझे मालूम है कि श्री गुप्त ने अभी रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : This is a very important question......

SHRI RANGA : Supplementary questions should not be confined only to those Members who have to be given notice of the question. Other Members also have to be given an opportunity. You are not calling others. Shri Kanwar Lal Gupta wants to ask a supplementary question. But you are not calling him

MR SPEAKER : I gave him an opportunity but the question asked was not relevant...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I shall ask a relevant question now.

MR. SPEAKER : The earlier question was not relevant...

SHRI KANWAR LAL GUPTA ; If you do not allow me, how can I ask the question ?

MR SPEAKER : Let him ask another question now, not the same question.

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा सवाल यह है, मैंने पहले भी यह पूछा था, जैसा कि प्रधान मंत्री महोदया कहती हैं, मैं ने किसी के खिलाफ इन्सिन्युएशन नहीं किया, हरएक मंत्री या प्रधान मंत्री के बारे में पूछने का मुझे हक है, मैं जानता हूँ, मंत्री महोदय ने जो (बी) भाग का जवाब दिया :

> "the names of the Ministers who have not filed their income-tax returns for the past 3 years "

इस का जो उत्तर उन्होंने दिया उस के संबंध में मुझे कहना यह है कि मंत्री महोदय को यह मालूम है कि किस किस मंत्री ने टैक्स किस साल में पे किया लेकिन यह उसे सदन के सामने न बता कर बाद में इंफार्मेशन रखते हैं ताकि उस की पब्लिसिटी न हो, यह मेरा चार्ज है, मैंने तीन बार इस बारे में सवाल पूछा, तीनों बार इसी तरह से किया गया तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन मंत्रियों ने रिटर्न लेट फाइल किए या गलत रिटर्न भरे जिन की रिअसेस्मेंट डिपार्टमेंट ने नहीं की, उन पर पेनाल्टी का नोटिस जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं गया तो क्या मंत्री महोदय इस प्रकार के जो

दूसरे एसेसीज हैं जो यही डिफाल्ट करते हैं, इसी तरह से उन के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे और क्या आया वह डिफाल्टर्स हैं, उन के ऊपर ठीक तरह से नोटिस या और कार्यवाही हुई इस की जांच करने के लिए किसी इंडेपेंडेंट जूडिशियल आदमी को यह चीज सौपेंगें ?

श्री प्र० चं० सेठी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आरोप ठीक नहीं है कि हम सदन के सामने जो जानकारी हमारे पास है उस को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात यह है कि जब जब कोई सवाल आया है उस के बारे मे जानकारी इकट्ठा कर के दी गई हैं। पिछले वक्त जिन मंत्रियों के खिलाफ टैक्स बकाया था उन के नाम दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि उन के ऊपर क्या क्या कार्यवाही हुई, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया इस का कोई एडवांस नोटिस भी हम को नही मिला और 6-8-69 को हम को यह सूचना मिली, कई कमिश्नरियों से इस की जानकारी मंगानी है। जिन मंत्रियों ने अपने इनकम टक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं उसमें कुछ केसेज ऐसे भी हैं कि जिन में कार का जो डिडक्शन होना हैं वह उन्होंने नहीं लिया था, उन को कुछ पैसे वापस मिले हैं। कुछ केसेज ऐसे हैं कि जिन में अगर टैक्स बकाया है तो इन्टेरेस्ट लेने की कार्यवाही की गई है। माननीय श्री गुप्ता जी इनकम टैक्स के प्रेक्टिशनर है, उन को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद असेसमेंट का कम्प्लीशन होने तक यह पता लगाना मुश्किल है कि इस केस में पेनाल्टी लगेगी या इन्टेरेस्ट लगेगा या क्या होगा ? असेसमेंट उन्होंने फाइल किए हैं। उन की सारी स्क्रूटिनी और जांच होने के पश्चात् ही हर एक केस में पता चल सकेगा इस में क्या कार्यवाही करनी है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के मामले में साधारण लोगों में, पार्लियामेंट के मेम्बरों में और मिनिस्टरों में कानून की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं किया जायगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा कहना यह था कि डिस्क्रिमिनेशन न हो उस के लिए क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। एक केस में एक मन्त्री ने अगर अपनी इनकम कम दिखाई और डिपार्टमेंट ने उसे ज्यादा कर दिया, उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगायी तो दूसरे केस में कैसे लगा रहे हैं ? मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए।

SHRI P. C. SETHI : When the information is not before me, how can I say whether what he is saying is correct or no ?

SHRI BENI SHANKAR SHARMA : The hon. Minister said that he would enquire and find out whether under secs. 139 (1) and 139 (2) there were any defaults by the Ministers. Will he further enquire into other defaults committed by the Ministers, if any, under secs. 211 and 212. According to these sections, advance tax has to be paid in a particularly manner. Under sec. 212, if it is not paid, the assessee has to file his estimate. Was any advance tax paid by the Ministers or was any estimate filed by them ? If not, was any penal action taken under sec. 273 ? There is another section, sec 140A. Have the Ministers fled their assessments and paid their tax in time under the self-assessment scheme ?

MR. SPEAKER ; He is making suggestions. Let him ask a question.

SHRI BENI SHANKAR SHARMA : I would ask him to collect information on these points and lay it on the Table.

SHRI P. C. SETHI : If the hon. member tables a separate question, we will go into it.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : I think there was a news item-whether it was in reply to a question in the other place or not. I do not know to the effect that some Ministers have not filed their income-tax returns for ten years ? Is it true ?

MR. SPEAKER : This was asked and already replied to.

SHRI RANGA : He said he has not got the information.

श्री प्र० चं० सेठी : इन के नाम मैंने दिए हैं सदन में ।

SHRI RANGA : May we have an assurance that no discrimination is being made or will be made between the ordinary public and the Ministers and also Members of Parliament ? May I also have an assurance that the delay in making returns, making returns which are not accepted by the authorities and being asked to file another return, having to pay any penalty, etc. are not criminal cases nor are they cases of moral turpitude ? They are only questions relating to revenue and they have to be decided by the income-tax officers and the income-tax payees.

SHRI P. C. SETHI . As far as collection of income-tax is concerned, I have only to say what I have already said that no discrimination is made and if there is any legal action to be taken in any particular case, it will be taken.

Consumption of Synthetic Rubber

*455. SHRI S. K. TAPURIAH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to state :

(a) the total consumption of synthetic rubber in the country ;

(b) whether it is a fact that the only unit in the country producing synthetic rubber cannot cope with the required demand and a colossal sum of foreign exchange is spent in its import ;

(c) whether some applications for fresh licences are pending since long with the Ministry ; and

(d) if so, why the grant of new licences is being delayed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : (a) Consumption of Synthetic Rubber during 1968 was 24, 517 metric tonnes.

(b) Only certain special types of Synthetic Rubbers not manufactured in the country are being imported.

(c) and (d). Two applications were received in the middle of 1968 and one in early 1969 but all of them were rejected in July, 1969 as premature at this stage since the availability of raw material to the extent required is still not certain.

SHRI S. K. TAPURIAH : While the Government are crying hoarse against monopolies, in actual practice they encourage monopolies and do nothing to prevent monopolies. You will remember that sometime back in this House I raised the question of the inactivity of the licensing department and how it was allowing monopoly to persist in the field of polyster fibres. The same thing applies in the field of synthetic rubber also where only one unit is allowed to carry on production and others are not allowed to come in. Last year there was a tremendous shortage of natural rubber and shortage of tyres, etc. that the Government allowed imports Is it a fact that while there was a shortage of natural rubber and synthetic rubber in the country and while the Government spent enormous amounts in foreign exchange to import those things, the only manufacturer in the country had increased the price, thereby harming the production of local units which used those rew materials ?

SHRI D. R. CHAVAN : I have made my position clear in my reply. There is only one unit producing synthetic rubber. The applications for new licences are tied to the production of bhutadine extraction plant in Gujarat Government of India have offered to participate in collaboration with the Polymar corporation of Canada in carrying on certain studies for synthetic rubbers and on certain productions projections indicating the demand of rubber in another 15 years or so. No sooner are those studies completed and the bhutadine extraction plant is completed, than all the applications will be considered ; they cannot be considered now because there is no raw material.

SHRI S. K. TAPURIAH : My question was whether the monopoly manufacturer had increased his price or not when there was a shortage......(*Inturruptions*).